अनौपचारिक टिप्पणी

विषयः— राजहैल्थ पोर्टल पर नव नियुक्त चिकित्सकों के संबन्ध में।

सन्दर्भः— आपके आदेश क्रमांक 18 दिनांक 02.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजहैल्थ पोर्टल पर आपके सन्दर्भित आदेश द्वारा 1763 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति आदेश के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेख है कि "आहरण एंव वितरण अधिकारी के प्रमाणित करने की तिथि से ही चिकित्सक को राजकीय सेवा पर माना जावेगा।" नवनियुक्त चिकित्सकों द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में कार्यग्रहण किए जाने एंव मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किए जाने की दिनांक में भिन्नता है।

इसी क्रम में उक्त नवनियुक्त चिकित्सक डाटा अपडेशन के लिए प्रतिदिन सम्पूर्ण राज्य से अपनी परिवेदना नोडल अधिकारी, राजहैल्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्देशानुसार भविष्य में प्रमोशन एंव सेवानिवृति का कार्य राजहैल्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। नियुक्ति तिथि में भिन्नता होने से प्रमोशन एंव सेवानिवृति आदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जिससे न्यायिक प्रकरण बढने की भी सम्भावना है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)

निदेशक(जन स्वा0),
मुख्यालय।

कमांक—राजहैल्थ / 2024 / 26 **दिनांक—** 6/06/24

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप—2 / 3), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7763120

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :05-06-2024 01:20:49